बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

नर्मदापुरम रोड़, भोपाल – ४६२०२६

क्रमांक 1544 /प्रशासन/2026 भोपाल, दिनांक 2-11-26

सूचना

पूर्व जारी सूचना क्रमांक 1470/प्रशासन/2026 दिनांक 12.10.2026 एवं 1499/प्रशासन/2026 दिनांक 16.10.2026 के परिप्रेक्ष्य मे सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 हेतु अतिथि शिक्षकों के इम्पेनलमेंट के साक्षात्कार दिनांक 16,17 एवं 18 नवम्बर को आयोजित किया जाएंगे। आवेदको को साक्षात्कार तिथि,समय एवं स्थान के संबंध मे विभागाध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

पृ.क्रमांक 1545 /प्रशासन/2026 भोपाल, दिनांक 2-11-26

प्रतिलिपिः-

1. सर्वसंबंधितों की सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मान.कुलगुरू जी के निजी सचिव के माध्यम से मान.कुलगुरू जी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निज नस्ती।

सहायक-कुलसचिव(प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

अतिथि शिक्षकों के मनोनयन हेतु संशोधित दिशा–निर्देश

(I) अतिथि शिक्षक

1. सामान्य

1.1 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि विद्वान की व्यवस्था की जाएगी।

1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है इसके लिये संबंधित अतिथि शिक्षक को इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा ।

1.3 अतिथि विद्वान आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी है। अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगे और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत भी 'लोक–सेवक' नहीं माने जाएंगे ।

1.4 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में इम्पेनलमेंट किया गया अतिथि शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग में भी व्याख्यान दे सकेगा जिसका मानदेय संबंधित विभाग द्वारा दिया जायेगा, परन्तु कुल मानदेय की प्रति माह सीमा रू.50,000/– अधिकतम से ज्यादा नही होगी।

1.5 आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी ।

2. योग्यता, अनुभव अंक, अधिभार, मेरिट अंको की गणना, वरीयता का निर्धारणः

2.1 **योग्यता का निर्धारण :**

2.1.1 संबंधित विषय/ सहविषय में न्यूनतम नेट/एमपी सेट/स्लेट अथवा पीएचडी उत्तीर्ण ।

2.1.2 अतिथि विद्वान इम्पेनलमेंट हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 एवं समय–समय पर किये गये संशोधन में उल्लेखित मापदंड के अनुरूप है। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे ।

2.1.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से दिव्यांग अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंको में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी।

2.2 **अनुभव अंक का निर्धारण :**

2.2.1 प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य के कालखण्ड को ही अनुभव अंक के लिए जोड़ा जाएगा यह अधिभार अधिकतम 05 अकादमिक सत्र के लिए कुल 20 अंक तक ही मान्य होगा। यह ओर भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा । अधिभार कि गणना निम्न तालिका अनुसार होगी :–

स0क्रं.	कालखण्ड	अनुभव के अंक
1	150 से अधिक	04
2	120 से 149	03
3	90 से 119	02
4	01 से 89	01

अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र मे कार्यदिवस का उल्लेख होने पर 01 कार्यदिवस को 03 कालखण्डों के समकक्ष माना जाएगा।

2.3 •समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) तथा EWS वर्ग के आवेदकों को म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

•दिव्यांग अभ्यर्थियों को पृथक से स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार म.प्र.शासन के नियमानुसार दिया जाएगा। इस अधिभार का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा।

2.4 **मेरिट का निर्धारण**

अतिथि विद्वान के इम्पेनमेंट की मेरिट का निर्धारण स्नातकोत्तर के अंक एस.सी/एस.टी/ ओ.बी.सी (नॉन क्रीमी लेयर)/ ई.डब्ल्यू.एस, दिव्यांग के लिये अधिभार, शैक्षणिक अनुभव के अंक एवं साक्षात्कार के अंको के आधार पर होगी।

2.4.1 मेरिट अंको की गणना स्नातकोत्तर के प्राप्तांक प्रतिशत को अंक मानते हुए प्राप्त अंको में से 50 घटाया जाएगा उसमें अधिभार के अंक, शैक्षणिक अनुभव के अंक एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, अनूसूचित जाति का है, दिव्यांग भी हैं एवं 05 वर्षो का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होंगे :-

स्नातकोत्तर (75-50 = 25) = 25 अंक अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिभार (75 का 10 प्रतिशत) = 7.5 अंक, दिव्यांग के लिए अधिभार (75 का 10 प्रतिशत) = 7.5 अंक, अनुभव का अधिभार उपरोक्त तालिका अनुसार अधिकतम 04 अंक प्रतिवर्ष अतः कुल 05 वर्षो के लिए 20 अंक, इस प्रकार कुल अंक = 60

2.4.2 **वरीयता का निर्धारण :-**

वरीयता क्रम का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम पीएच.डी उपाधि प्राप्त के साथ नेट/सेट/अन्य नियामक संस्थानों के अनुरूप पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ततपश्चात पीएच.डी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी एवं अंत मे नेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वान को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है तो अभ्यर्थी को संबंधित विषय की स्नाकोत्तर परीक्षा में अधिक अंक वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम अर्हता का निर्धारण कण्डिका 5.1 के अनुसार रहेगा।

3. <u>पैनल बनाने की प्रकिया</u>

3.1 अतिथि विद्वान के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति के लिये प्रत्येक

अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी ।

3.2 अकादमिक सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक की पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा संबंधित विभाग के सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है ।

3.3 विज्ञापन के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम समन्वयक के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंकसूचियां एवं प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा ।

3.4 एक से अधिक विषयों पर पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को अलग-अलग विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3.5 पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा । विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही करना या नही करना, विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही होगा ।

3.6 विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि पैनल में शामिल अभ्यार्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दे। विभागाध्यक्ष इम्पेनल्ड अतिथि शिक्षकों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करते समय मेरिट को प्राथमिकता देंगे।

3.7 आवेदन उपरांत संबंधित चयनित आवेदक यदि उल्लेखित समय सीमा में आमंत्रण स्वीकार करने हेतु कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में उसे उस अकादमिक सत्र के अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में कुलगुरू जी का निर्णय अंतिम होगा।

3.8 अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है एवं वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अपराधिक प्रकरण में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कार्यरत अवधि में भी अगर कोई अतिथि शिक्षक पर कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो उन्हें विस्थापित कर दिया जाएगा।

4. समिति

4.1 प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष,विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के दो अन्य शिक्षकों के सहयोग से करेंगे । इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलगुरूजी से प्राप्त करनी होगी ।

4.2 साक्षात्कार के लिए समिति का गठन कुलगुरू जी के अनुमोदन से निम्नानुसार होगा :-

(1)	विभागाध्यक्ष/निर्देशक	–	अध्यक्ष
(2)	संकायध्याक्ष/अध्यक्ष अध्ययन मण्डल	–	सदस्य
(3)	बाह्य विषय विशेषज्ञ	–	सदस्य (कुलगुरूजी द्वारा नामित)
(4)	आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि	–	सदस्य (कुलगुरूजी द्वारा नामित)
(5)	विभाग/संकाय/वि.वि शिक्षण विभाग का नियमित शिक्षक	–	सदस्य (कुलगुरूजी द्वारा नामित)

5. अर्हता के मापदण्ड

5.1 न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए.आई.सी.टी.ई/एन.सी.टी.ई/बी.सी.आई/पी.सी. आई के मापदण्ड के अनुसार होगी। दिनांक 11.07.2009 के पश्चात् दूरस्थ माध्यम से अर्जित पीएच.डी एवं एम.फिल की उपाधि मान्य नही होगी।

5.2 बी.यू.आई.टी, सी.आर.आई.एम. फार्मेसी, विधि शिक्षण आदि विभागों में संचालित व्यावसायिक पाठयक्रमों हेतु योग्यता निर्धारण/वरियताक्रम संबंधित नियामक संस्थाओं के मापदण्डों के अनुसार होगा ।

5.3 अभ्यर्थी को आनलाइन कक्षा संचालित करने की जानकारी होनी चाहिए।

5.4 आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था स्वंय करनी होगी तथा अतिथि व्याख्याता कक्षा की लिंक विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं पीपीटी के द्वारा कक्षा लेंगे। इन पीपीटी को विभागाध्यक्ष को भेजना अनिवार्य है। (आवश्यकता के अनुसार)

7. मानदेय का निर्धारण

7.1 अतिथि शिक्षक को प्रति कालखण्ड रूपये 750/- देय होंगे। अधिकतम 4 कालखण्ड प्रति कार्य दिवस तथा अधिकतम मानदेय 50000/- प्रतिमाह देय होगा।

7.2 अतिथि विद्वान शैक्षणिक कार्य, विभागीय कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों मे सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कार्य कराए जाते है तो विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर उक्त कार्यो हेतु अधिकतम पारिश्रमिक रू. 5000/- (पांच हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर स्वीकृत किया जा सकता है। यदि एक से अधिक शिक्षक उक्त कार्य को करते है, तो भी अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उन्हें भुगतान की पात्रता होगी। यह उन्हीं विभागों के लिये होगा जहां शिक्षकों की संख्या 2 से कम एवं विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक है।

7.3 मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा, वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

8. निरन्तरता

8.1 अगले सत्र में पैनल तैयार किये जाने तक विभागाध्यक्ष/निर्देशक /समन्वयक चाहे तो कुलपतिजी से अनुमोदन उपरांत पूर्व पैनल को निरन्तर रख सकते है ।

(II) आमंत्रित विद्वान

1. विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के साथ साथ शोध कार्य भी संचालित होते है। अतः विषय के विशिष्टीकरण (Specialization) के आधार पर बिभागाध्यक्ष/ निर्देशक आवश्यकतानुसार कुलपतिजी के अनुमोन उपरांत पेशेवर/शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में कार्यरत विद्वान/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित विद्वान के रूप में विभाग में व्याख्यान के लिये आमंत्रित कर सकेगें ।

2. आमंत्रित विद्वानों/शिक्षकों/विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 3000/- मानदेय देय होगा, साथ ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होगी।

III विशिष्ट विद्वान

1. विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, एवं समाज – तीनों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक स्तर पर विशिष्ट व्याख्यानों का समय- समय पर आयोजन किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष करेंगे। विद्वानों एवं विषयों का चयन कुलपतिजी से परामर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

2. विशिष्ट व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु रू. 5000/- मानदेय देय होगा।

3. आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय अतिथि माना जाएगा तथा उनकी यात्रा भत्ता एवं स्थानीय आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

कुलसचिव